150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 1(40)एम.ई./ग्रुप–1/2012 जयपुर, दिनांकः 16 DEC 2019

परिपत्र

विभाग द्वारा समय–समय पर चिकित्सक शिक्षकों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एम.सी.आई.) हेतु आवश्यक अर्हता अर्जित करने के फलस्वरूप स्वयं की वेतन श्रंखल में एम.सी.आई. अनुवर्ती उच्च पद पर पद्नामित किये जाने हेतु निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते है :–

1. प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए कि प्रस्तावित चिकित्सक शिक्षक की एम.सी.आई. हेतु आवश्यकता है एवं वह एम.सी.आई. द्वारा निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक एवं अनुसंधान सम्बन्धी अनुभव/अर्हता रखता है।
2. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रस्तुत शोध–पत्र एम.सी.आई. के अनुरूप हो एवं अर्हता हेतु आवश्यक पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न की जाए।
3. चिकित्सक शिक्षक (वर्तमान डी.ए.सी.पी. पद) को उच्च पद पर पद्नामित कर मेडिकल कॉलेज पदस्थापन स्थान हेतु एम.सी.आई. हेतु आवश्यक अर्हता अर्जित करने के फलस्वरूप स्वयं की वेतन श्रंखला में एम.सी.आई. अनुवर्ती पदनाम बनाया जाएगा। यह पूर्णतः अस्थायी एवं एम.सी.आई. अनुवर्ती व्यवस्था होगी।
4. इस समयावधि को उक्तानुसार अनुवर्ती पद्नाम के लिये अनुभव नही माना जाकर इस हेतु इन्हें कोई वित्तीय अथवा सेवा सम्बन्धी (डी.पी.सी./डी.ए.सी.पी./अन्य संस्थापन प्रकरण) अतिरिक्त लाभ देय नही होगा।
5. यह पूर्णतः प्रशासनिक निर्णय/व्यवस्था होगी एवं चिकित्सक शिक्षक द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत कोई भी वरियता/प्राथमिकता सम्बन्धी परिवाद/शिकायत विभाग द्वारा स्वीकार्य नही होगी।

यह दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा/एकेडेमिक।
4. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज।
5. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव